छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 10–1/2012/तक.शि./42, नया रायपुर, दिनांक 12.11.2014

प्रति

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
(2) माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
(3) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर
(4) समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
(5) समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
(6) समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
(7) कुल सचिव, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई
(8) आयुक्त–सह–संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, नया रायपुर
(9) समस्त शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, छत्तीसगढ़
(10) समस्त शासकीय पॉलीटेक्निक, छत्तीसगढ़
(11) समस्त शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, छत्तीसगढ़
(12) समस्त शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक
(13) समस्त निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक
(14) समस्त कोषालय अधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :– उच्च शिक्षा में तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त शिक्षार्थियों को शैक्षणिक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध कराने के संबंध में।

––0––

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना को प्रभावशाली करने वाली समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 में आंशिक संशोधन करते हुए उच्च शिक्षा में तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त शिक्षार्थियों को शैक्षणिक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध कराने के संबंध में विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 10–1/2012/तक.शि./42, दिनांक 3 जून, 2014 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की एक प्रति आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(एस. के. तिवारी)
अवर सचिव
दूरभाष–0771–2510140

"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 245] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 जून 2014— ज्येष्ठ 15, शक 1936

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-1/2012/तक. शिक्षा/42. — राज्य शासन, एतद्द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना को प्रभावशाली करने वाली समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 से संलग्न परिशिष्ट-अ में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त परिशिष्ट में,-

कंडिका 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

"2. **योजना का उद्देश्य** :-शैक्षणिक ऋण में ब्याज अनुदान की योजना का उद्देश्य रुपये 2 लाख तक की वार्षिक आय के परिवार से आने वाले तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठयक्रमों के शिक्षार्थियों को मोरेटोरियम अवधि (पाठयक्रम की अवधि एवं नौकरी लगने के उपरांत एक वर्ष अथवा छः महीने की अवधि, जो भी पहले हो) के उपरांत नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण राशि के ब्याज के भार में छूट प्रदान करना है. राज्य शासन की ब्याज अनुदान योजना का लाभ मोरेटोरियम अवधि के उपरांत भी शिक्षार्थियों द्वारा लिये गये ऋण पर आने वाले ब्याज भार में कमी करना होगा.

2.1 राज्य के वामपंथ चरमपंथी प्रभावित (लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म अफैक्टेड) जिलों, अर्थात् वे जिले जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार का गृह मंत्रालय सुरक्षा संबंधी व्यय (सेक्युरिटी रिलेटेड एक्स्पेंडिचर अथवा "एस. आर. ई.") योजना में सम्मिलित करता है, के निवासी शिक्षार्थियों को मोरेटोरियम अवधि के उपरांत लगने वाले ब्याज के किसी भार को वहन नहीं करना होगा, एवं बैंकों द्वारा लिये जाने वाले संपूर्ण ब्याज भार का वहन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा. (वर्तमान में राज्य में सुरक्षा संबंधी योजना में बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर जिले सम्मिलित हैं.)

2.2 राज्य के शेष जिलों के निवासी शिक्षार्थियों को मोरेटोरियम अवधि के उपरांत केवल 1 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज के भाग का व्यय भार वहन करना होगा, एवं बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज के शेष भाग का व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.